

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/19

जयपुर, दिनांक: 26.03.2021

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के श्री छैल बिहारी अग्रवाल, संयुक्त विधि परामर्शी, आयुक्त आबकारी, उदयपुर को आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर के आदेश क्रमांक प. 1(बी)संस्था/आब/2018/1862 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा श्री अग्रवाल को अग्रिम आदेशों तक वित्त भवन, जयपुर स्थित कार्यालय उपस्थित रह कर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री छैल बिहारी अग्रवाल, संयुक्त विधि परामर्शी को अपने पद के कार्य के साथ-साथ संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) जयपुर के रिक्त पद पर अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है साथ ही श्री अग्रवाल का जयपुर से पुनः उदयपुर कार्य करने के निर्देश हो जाने पर अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

श्री राजीव कुमार मीना, वरिष्ठ विधि अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-1), सचिवालय जयपुर को अपने पद के कार्य के साथ-साथ कनिष्ठ विधि अधिकारी, गृह विभाग सचिवालय, जयपुर का कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है

श्री नंद गोपाल गोयल, उप विधि परामर्शी को राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) जयपुर का अतिरिक्त कार्य करने हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश 19.01.2021 को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव